

कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वयन विश्वविद्यालय, जौनपुर को सम्बोधित अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-429/सत्तर-6-2011-2(606)/2009, दिनांक-026.07.2011 की टंकित प्रति:-

उपर्युक्त विषयक आपके पत्राक-पू.वि.वि / सम्बद्धता / 03-83(एक) / 2011 / 5753, दिनांक-01.07.2011 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन मूलचन्द महाविद्यालय होलीपुर, गाजीपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजशास्त्र, अर्थशास्त्र गृहविज्ञान एवं भूगोल विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्भता शैक्षिक सत्र 2010-11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक-01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।-

1. शैक्षिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने की स्थिति में सत्र 2011-12 के सम्बद्धता की सर्वानुमति के प्रश्नागत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मांगते हुए दिनांक-01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतदविषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. रास्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92) / 2002, दिनांक-02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में रामब-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि सरस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम व वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत रास्था को प्रदान की गई सम्बद्धता यापन सिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियों आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

हो/-  
(इन्द्रदेव पटेल)  
अनुसंधिव

### वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वयन विश्वविद्यालय, जौनपुर

आदेश

दिनांक-03.09.2011

अनु संधिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-429/सत्तर-6-2011-2(606)/2009, दिनांक-026.07.2011 के प्रस्तर-1 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में मूलचन्द महाविद्यालय होलीपुर, गाजीपुर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्भता स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजशास्त्र, अर्थशास्त्र गृहविज्ञान एवं भूगोल विषयों में शैक्षिक सत्र 2010-11 बी0ए० प्रथम, बी0ए० द्वितीय एवं बी0ए० तृतीय वर्ष का परीक्षाफल शासनादेशानुसार 60 प्रतिशत से अधिक होने तथा महाविद्यालय के सामूहिक नकल के आरोप में आरोपित न होने की पुष्टि के फलस्वरूप महाविद्यालय को उपरोक्त सन्दर्भित विषयों में दिनांक-01.07.2011 से (शैक्षिक सत्र 2011-12) से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान किया जाए।

हो/-  
प्रो०(सुन्दर लाल)  
कुलपति

### वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वयन विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक- 14/9/11

पत्रांक-पू.वि.वि / सम्बद्धता / 03-83(एक) / 2011 / 6393



प्रतिलिपि -

1. अनुसंधिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उनके पत्र सं0429/सत्तर-6-2011-2(606)/2009, दिनांक-026.07.2011 के प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. मूलचन्द महाविद्यालय होलीपुर, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त पाठ्यक्रम में निर्धारित सीटों से अधिक प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
3. उपरोक्त पत्र कुलपति परीक्षा, गोपीनाथ/अतिरोपनीय/स्टोरर:

10/9/11  
कुलपति

Moolchand Mahavidyalaya  
Holiipur, Ghaziabad

Principal